न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या–2021 / 178

बालकिशन पुत्र नाथू जाति तेली निवासी गलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

(1). अनोख बाई पत्नि बिरधीलाल जाति मेहर निवासी कादीहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
(2). बिरधीलाल पुत्र बद्रीलाल जाति मेहर निवासी कादीहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–(1). रघुवीर सिंह राठौड़– अधिवक्ता अपीलांट
(2). रामरतन मीणा– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 1, 2

निर्णय **दिनांक 27.01.2023**

1. अपीलांटगण की ओर से उक्त अपील अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा के प्रकरण संख्या 26 / 2021 मे पारित निर्णय दिनांक 30.09.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट ने मूलवाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी अपीलांट के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी संख्या 523 रकबा 1.42 हैक्टेयर मौजा गलाना तहसील लाडपुरा मे स्थित है। प्रार्थी अपीलांट उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी अपीलांट की उक्त वर्णित आराजी के संलग्न आराजी संख्या 525 स्थित है जो विपक्षी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज रेकॉर्ड है। प्रार्थी अपीलांट व विपक्षी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी मे मध्य मेडबन्दी होने के बावजूद विपक्षी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसका पति विपक्षी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बदनियतीपूर्वक आये दिन प्रार्थी अपीलांट की खातेदारी की उक्त वर्णित

आराजी मे प्रार्थी अपीलांट के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त मे दखलंदाजी करते है तथा प्रार्थी अपीलांट के खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त आराजी पर अवैध रूप से अतिकमण कर कब्जा करने एवं प्रार्थी अपीलांट को जबरन उसके खातेदारी की भूमि से बेदखल करने की धमकी देते है, जिसका उन्हे कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अन्त मे प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी प्रार्थी अपीलांट ने स्वयं के पक्ष मे होना विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया कि वे प्रार्थी अपीलांट की खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात मे प्रार्थी अपीलांट के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त मे कोई दखलंदाजी नहीं करे एवं प्रार्थी अपीलांट की भूमि पर अतिकमण नही करे, प्रार्थी अपीलांट को उसकी भूमि के किसी भी भाग से प्रार्थी को बेदखल नहीं करे न किसी अन्य से करावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे विपक्षीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। विपक्षीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 30.09.2021 को प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया किये जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रार्थी ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

5. अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की।

6. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजीयात अपीलांट प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है , जिस पर अपीलांट काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अपीलांट प्रार्थी एक वृद्ध व्यक्ति है जिसकी खातेदारी की उक्त आराजीयात पर रेस्पोडेन्टगण कब्जे काश्त मे दखलंदाजी करते है तथा जबरन कब्जा करने की कोशिश करते है। अपीलांट प्रार्थी की भूमि मे होकर रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण का कभी कोई रास्ता नहीं रहा है और न ही वर्तमान मे मौके पर कोई रास्ता विद्यमान है। भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार रिपोर्ट दिनांक 15.07.2021 जो कि उभय पक्षकारान व पडौसी खातेदारान की उपस्थिति मे तैयार की गई है। उक्त रिपोर्ट मे स्वयं खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके पति रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एवं उसके दोनो पुत्र भी उपस्थित थे। उक्त रिपोर्ट मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्वयं आलेखित करवाया है कि पूर्व मे मेरे ससुर बद्रीलाल पिता कल्याण एवं अन्य सदस्य आराजी संख्या 528 रकबा 1.00 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता(रामतलाई गडार) के उत्तर दिशा की आराजी संख्या 519 रकबा 1.00 हैक्टयर व आराजी संख्या 916/927 रकबा 0.97 हैक्टेयर की मध्य मेड से आराजी संख्या 521 एवं आराजी संख्या 916/527 की मेड से होते हुए स्वयं की आराजी संख्या 525 पर कृषि कार्य हेतु साधन लेकर आया–जाया करते थे। साथ ही यह भी आलेखित किया है कि आराजी संख्या 525 पर ग्राम कादीहेडा के कांकड से दक्षिण की ओर आराजी संख्या 523 की पूर्वी मेड तथा आराजी संख्या 524/815 की पश्चिमी मेड से पेदल आते–जाते थे। इस प्रकार उक्त पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कथन के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी मे आने–जाने हेतु पहले से ही रास्ता विद्यमान है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पटवारी

हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक की उक्ता रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना ही अपील के विचाराधीन रहते हुए निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपील के विचाराधीन रहते हुए पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि जहां तक रास्ते का मामला है, उसके लिए अलग से रेस्पोडेन्टगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए जिसमे पुराना रास्ता खुलवाए जाने का प्रावधान है के तहत अथवा किसी खातेदार की आराजी मे होकर नया रास्ता कायम करवाना है तो उसके लिये सक्षम न्यायालय मे धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। रेस्पोडेन्टगण स्वयं ने अपने जवाब मे धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसील लाडपुरा मे कार्यवाही पेश करने का कथन किया है । इसके बावजूद भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किये जाने का त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट प्रार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.2021 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थी अपीलांट की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मे विवादित आराजीयात जो कि रास्ते की भूमि है, उक्त रास्ते की भूमि पर रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी की आराजी पर आने जाने हेतु रास्ता अपीलांट प्रार्थी की मेड पर होकर सरकारी रेकॉर्ड मे दर्ज कांकड तक जाता है। उक्त कांकड जो सरकारी भूमि है, जिस पर अपीलांट प्रार्थी ने रेस्पोडेन्टगण को उसकी आराजी तक जाने के रास्ते को अवरूद्ध करने के उद्देश्य से कब्जा करते हुए रास्ते को बन्द कर दिया है जो कि पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार रिपोर्ट दिनांक 15.07.2021 से स्पष्ट है। उक्त सरकारी भूमि मे विद्यमान रेस्पोडेन्टगण की आराजी तक जाने वाले रास्ते को अपीलांट प्रार्थी द्वारा बंद किये जाने के संबंध मे जिला कलक्टर महोदय व पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण को परिवाद भी पेश किया है जिसकी कार्यवाही से बचने हेतु गलत तथ्यो के आधार पर अपीलांट प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से स्वयं की आराजीयात पर आने–जाने हेतु रास्ते के संबंध मे धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसकी कार्यवाही विचाराधीन है। उक्त कार्यवाही से बचने के लिए प्रार्थी अपीलांट ने गलत रूप से स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र व उसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भी प्रस्तुत किया जिस पर रेस्पोडेन्टगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर विस्तृत विवेचन किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलांट प्रार्थी के पक्ष मे नहीं होना मानते हुए अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया है जो न्यायोचित होने से अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट प्रार्थी खारिज की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.2021 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की ।

8. हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट प्रार्थी व

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अभिलिखित खातेदार है जिन्होने अपने अभिवचनों मे अपनी–अपनी आराजीयात पर काबिज होने का कथन किया है। अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया जाकर रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की ईमदाद चाही गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अभिलिखित खातेदार है। हस्तगत प्रकरण मे अपीलांट प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला , सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलांट प्रार्थी के पक्ष मे होना प्रमाणित हो। हस्तगत प्रकरण मे मुख्यतः विवाद बिन्दु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी मे आने–जाने हेतु रास्ते के संबंध मे होना प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है । उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं ने भी अपनी बहस मे रास्ते के विवाद का कथन एवं उससे संबंधित प्रकरण सुखाधिकार को लेकर विचाराधीन होने का कथन किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कथन व पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के अवलोकन से भी रास्ते को लेकर विवाद पैदा होना प्रमाणित होता है, जिस पर अंतिम निर्णय मूलवाद मे तय होना है। अपीलांट प्रार्थी के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के संबंध मे आवश्यक निम्नांकित तीनो बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय तथा प्रस्तुत तथ्यों व विधि के प्रकाश मे देखा जाना उचित होगा।

1. **प्रथम दृष्ट्या मामला–** अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्ट्या बिन्दु पर अभिमत किया है कि " प्रस्तुत प्रकरण मे हम पाते है कि प्रार्थी व अप्रार्थी कमशः खसरा नम्बर 523 एवं 525 के अभिलिखित खातेदार कृषक है तथा अपने अपने खाते की आराजी पर काबिज काश्त है। मुख्य विवाद अप्रार्थीगण के अपने खसरा नम्बर 525 पर जाने से संबंधित है। इस संबंध मे पत्रावली मे उपलब्ध नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 525 अन्य निकटतम खसरा नम्बरान से घिरा हुआ है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनो के द्वारा मेढ़ बनी होना स्वीाकर किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त मेढ़ पर पत्थर की कोट कर देने से अप्रार्थी के लिये अपने खेत पर जाने का रास्ता बन्द हो गया है और यही उभयपक्षकारान के विवाद का मुख्य कारण है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब मे अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा निर्धारित प्रकियानुसार धारा 251 के तहत रास्ता प्राप्त करने के लिये तहसील कार्यालय मे आवेदन कर दिया गया है, जो विचाराधीन है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी के विवादित आराजी संख्या 523 का खातेदार व काबिज काश्त होने के बावजूद इसे प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला कहा जाना न्यायोचित नहीं होगा। जब स्वयं प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के प्रचलित रास्ते को बन्द किया गया है तो विवाद होना ही था। प्रस्तुत प्रकरण मे, यद्वपि प्रार्थी द्वारा अपने स्वयं के खाते की आराजी के सुरक्षार्थ निषेधाज्ञा चाही गई है परन्तु इसमे उन्हें किसी अन्य के सुखाचार में बाधा पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। फलस्वरूप यह विवाद अचानक से प्रकट नहीं हो जाने से यह प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या माला नहीं है।" हम इस निष्कर्ष से सहमत है। अपीलांट प्रार्थी आराजी संख्या 523 का एवं अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आराजी संख्या 525 के अभिलिखित खातेदार है। अपीलांट प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वादपत्र मे उसकी खातेदारी की उक्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करना अंकित किया है। प्रकरण मे अस्थाई निषेधाज्ञा व सुखाधिकार का प्रश्न आपस मे मिला हुआ है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण का कथन है कि सुखाधिकार का प्रश्न दूसरे न्यायालय मे विचाराधीन है तथा वहा पर निर्णय किया जाना है। चूंकि दोनो प्रश्न आपस मे मिले हुए है तथा वाद भी अंततः स्थाई निषेधाज्ञा का है, अतः ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी अपीलांट के पक्ष मे प्रतीत नहीं होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 की आड़ मे सुखाधिकार का प्रश्न नहीं सुलझाया जा सकता। इस प्रकार अपीलांट प्रार्थी स्वयं की आराजीयात पर काबिज काश्त है, प्रथम दृष्ट्या मामला अपीलांट प्रार्थी के पक्ष मे नहीं है।
2. **सुविधा का संतुलन–** अपीलांट प्रार्थी आराजी संख्या 523 का अभिलिखित खातेदार है। अपीलांट प्रार्थी स्वयं की आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रार्थी अपीलांट की आराजी संख्या

523 के संबंध मे कोई विवाद का विषय नहीं होकर अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी संख्या 525 मे जाने हेतु रास्ता बंद हो जाने से विवाद पैदा होना प्रतीत होता है। विवाद का बिन्दु आराजी संख्या 523 की मेड़ से होकर काकड़ वाले रास्ते का है। रास्ते के विवाद का बिन्दु यहॉ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत निस्तारित नहीं किया जा सकता है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी अपीलांट के पक्ष मे नहीं है।

3. **अपूरणीय क्षति–** अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय के अभिमत से हम सहमत है।

9. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं पर विवेचन के पश्चात अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किये जाने के संबंध मे उक्त तीनो महत्वपूर्ण बिन्दुओं के अपीलांट प्रार्थी के पक्ष मे नहीं होने से अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत होने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट प्रार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 27.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा(राज0)